तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शेराराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार तिंवरी) सू.अ.अ. अपील संख्या 57/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शेराराम पुत्र बींजाराम मेघवाल पता उगुणाबास मथानिया जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02.2018 में उसके द्वारा (1) ग्राम मथानिया खसरा नम्बर 754 जीवन गंगा कोलानी, मथानिया कुल कितने बीघा जमीन है तथा इसमें कुल कितने खाता धारक है व 6 अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(तहसीलदार तिवरीं) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिवरी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	